UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 840 / 16 नि0 दिनांक 16/03/2022

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/38667 /2019 जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.775 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भ– **भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/36/2020/एफसी/929 दिनांक 29.10.2021 एवं आपका पत्र संख्या 1113/12–1(2) दिनांक 30.10.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

क्र0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी, इसका अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी, का अनुपालन किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
(क)	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.550 हे0 अवनत भूमि लौंगा के क0सं0 19 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हों, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
(ख)	वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षरोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन विभाग से सम्बन्धित है।
(ग)	The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the Proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be.	वन विभाग से सम्बन्धित है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन एवं स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किय जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षित हेतु वांधित धनराशि रू0 28,00,310.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896138667433 IFSC code UBIN0903710, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न– संलग्नक–1)

5	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**	
(क)	इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक 30.10. 2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफसी (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03. 10.2006 एवं 5–3 /2007 एफसी दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से स प्रस्ताव के तहत **3.775 हे0** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध मूल्य वसूली करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग शुद्ध वर्तमान मूल्य 2.775 है0 एनपीवी की देय धनराशि रू0 31,89,875.00 मात्र Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896138667433 IFSC code UBIN0903710, Union Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1)।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्त अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	एनपीवी की धनराशि में यदि कोई वृद्धि होती है तो प्रस्तावक विभाग जमा करने हेतु सहमति है, एनपीवी की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण पत्र संलग्न है (संलग्नक–2)।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 617 वृक्षों एवं 38 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यरूवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन विभाग से सम्बन्धित है। वृक्षों के कटान की धनराशि राजय वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल E-Portal (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना अभिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किए जायेंगे।	अनुपालन किया जायेगा। वन निगम से पेड़ों के छपान / ढुलान की धनराशि की मांग का पत्र प्राप्त होने पर उक्त धनराशि वन निगम के खाते में जमा कर दी जायेगी।
8	गाईड लाईन्स में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य आरम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सकरार इसकी कडाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	वन निगम /वन विभाग से सम्बन्धित है।
9	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा (संलग्न–3)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारे पर पौंधों की संख्या बढायेगा।	सड़क के दोनों ओर रिक्त पड़ें स्थानों पर वृक्षारोपण किया जायेगा संलग्नक–4)
11	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	अनुपालन किया जायेगा।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
14	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा। रसोई गैंस / कैरोसिन का प्रमाण पत्र संलग्नक है–संलग्नक–5)।
16	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर. सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जायेगा। जिस पर Forward /backward bearings अंकित हों।	भूमि की सीमांकन आरसीसी पिलरों का प्रमाण पत्र संलग्न है–संलग्नक–6)।

17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
18	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
19	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 एफसी दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। संलग्नक–7)।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागूं होंगी।	अनुपालन किया जायेगा। वन्य जीवों को क्षति न पहुंचाने का प्रमाण पत्र संलग्न है–संलग्नक–8)।
22	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नीवित करने का कार्य करेगा। मलवे मको यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगीं। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	अनुपालन किया जायेगा। मलवा निस्तारण प्रमाण पत्र संलग्न है, संलग्नक–9)।
23	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि यदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	अनुपालन किया जायेगा।
24	अनुपालन आख्या E-Portal (hppps://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन आख्या E-Portal (hppps://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

16/3/22

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

संलग्नक ①

प्रमुख आहरण वितरण अधिकारी

~~पेयजल खाते~~ N.P.V.

Counterfoil

State Bank of India

Date 07/03/22

Received

From

By Cheque/

Transfer for

RTGS/NEFT

On

Bank Union Bank OF INDIA

Branch Lodhi Complex Branch

Favoring Uttaranchal Compa

IFSC Code UBIN0903710

A/c No. 150896138667433

Account No.

Amount ₹ 5990185.00

Bank's Charges ₹ Govt. Payment

Total ₹ 5990185.00

(Rupees Fifty nine Lac Ninty thousand one hundred Eighty Five

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

7/3/22

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-02-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6138667433
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/36/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAGRudraprayag
Amount(in Rs)	5990185/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Ninety Thousand One Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896138667433 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

आन्ध्रा Andhra | कार्पोरेशन Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-02-2022

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6138667433
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/36/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAG Rudraprayag
Amount(in Rs)	5990185/-

Amount in Words :Fifty-Nine Lakh Ninety Thousand One Hundred and Eighty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896138667433 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

A/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sro.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/38667/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/38667/2019) Construction of Sumari Virangaon Jakhal Motor road	ROAD386672019433	6138667433	29 Oct 2021	**CA:** 2800310/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 3189875/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 5990185/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 19 Feb 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 22 Feb 2022 **Transaction Date** : 07 Mar 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/180220221325469687_FPUKROAD386672019_User_Fund_Demanded_14146.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD386672019433)
2	FP/UK/ROAD/11825/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11825/2015) Construction of Chenagaad-Ghanghasu (Bangar) Motor Road under State sectore	ROAD118252015670	6111825670	08 Apr 2016	**CA:** 1305812/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 2395575/- , **Road side plantation :** 1087733/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 4789120/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 17 Jan 2022 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 17 Jan 2022 **Transaction Date** : 27 Jan 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/170120221322169343_FPUKROAD118252015_User_Fund_Demanded_B5525.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD118252015670)
3	FP/UK/ROAD/39447/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/39447/2019) Construction of Mai Ki Mandi Jawari Bye Pass to Kala Pahad Bhet Thapli Kheeda Motor road	ROAD394472019682	6139447682	08 Feb 2021	**CA:** 133100/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 474683/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 607783/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 10 Mar 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 09 Dec 2021 **Transaction Date** : 07 Jan 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/311912571216EN7M0DemandNote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD394472019682)

P/c attested

सहायक अभियन्ता।
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

संलग्नक ②

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

एन0पी0वी0 की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

सलग्नक (3)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No--49 | Dated-26/09/18

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **3.7750 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Sumari Virangaon Jakhal Moto road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Sema, Ladiyasu, Jakhal** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

[signature] जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)

(Full name and official seal of the District Collector)

P/c attested
[signature]
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mangesh Ghildiyal, I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 26.09.18 at time ....at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **3.7750 hect** for the **Construction of Sumari Virangaon Jakhal Motor Road under State Sector (8.075 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:.............

Mangesh Ghildiyal (I.A.S.)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– ....सेमा....
तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)) परियोजना के निर्माण हेतु (3.3775 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 0.2400 है0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण हेतु) अर्थात **कुल 3.7750 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सेमा---- द्वारा दिनांक 22/06/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम –सेमा--------- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 22/6/16
ग्राम सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत ... ह0 ... दि0 22-6-2016 विकास खण्ड जखोली रूद्रप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रधान ग्राम पंचायत ... ह0 ... दि0 ... विकास खण्ड जखोली (रूद्र...)

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

दिनांक 22/06/16 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	रमेशदत्त नौटियाल सा0कार्यकर्ता	[illegible]
(2)	राजेन्द्रलाल आर्य	Rajendra
(3)	जनार्दन गौड़	[illegible]
(4)	दामोदर प्रसाद गौड़	Damodar
(5)	पंकज भट्ट S/o विशालमणी	Pankaj
(6)	रामेश्वर गौड़ S/o कुलानन्द	[illegible]
(7)	टीकाराम गौड़ S/o देवानन्द	Tikaram
(8)	हरीश भट्ट S/o सीताराम भट्ट	हरीशभट्ट
(9)	सन्दीप भट्ट S/o सीताराम	[illegible]
(10)	ललित प्रसाद S/o देवप्रसाद	Lalit Mohan
(11)	सर्वेश्वर प्रसाद S/o गोविन्द गौड़	[illegible]
(12)	आदित्यराम S/o ज्वालाराम	आदित्य राम
(13)	[illegible] S/o रूपराम	[illegible]
(14)	मानानन्द S/o सुन्दरीराम	[illegible]
(15)	घनानन्द	घनानन्द
(16)	आशा सिंह S/o ज्ञान सिंह	आशा सिंह
(17)	श्री कमल सिंह S/o श्री दत्ता सिंह	[illegible]
	मायाराम	मायाराम
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

कमल सिंह नेगवाल

संलग्न है।

ह0/
ग्राम प्रधान

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– ...ताड़ियाल...............

तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)) परियोजना के निर्माण हेतु (3.3775 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 0.2400 है0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण हेतु) अर्थात कुल 3.7750 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ताड़ियाल– द्वारा दिनांक..23/06/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ताड़ियाल---- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

दिनांक 23/06/18...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत लड़ियाक.................

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ / ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	[illegible] नट	[illegible]
(2)	विक्रमसिंह नेगी	विक्रम सिंह
(3)	कार्तिक सिंह	कार्तिक सिंह
(4)	[illegible]	[illegible]
(5)	छत्रु लाल	छत्रु लाल
(6)	महावीर	महावीर
	कमलेशलाल S/- गोकुललाल	कमलेश
(7)	बिशु लाल	बिशु लाल
(8)		
(9)	[illegible] मधु लाल	सरिता देवी
(10)	सरिता देवी	
	मनीष लाल	मनीष लाल
(11)	धीरज लाल	धीरज लाल
(12)	रंजना देवी	रंजना देवी
13	सुमित्रा	सुमित्रा
14	कुन्दिलाल S/o मुन्दू लाल	कुन्दिलाल
15	श्यामलाल	[illegible]
	मीना देवी	मीना देवी
	हरिशलाल	हरिशलाल

संलग्न है।

(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत लड़ियाक, वि0ख0 जखोली (रूद्रप्रयाग); ह0 [signature] ग्राम प्रधान)

P/c attested

[signature]

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– ....जाखाल....................

तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तरांखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)) परियोजना के निर्माण हेतु (3. 3775 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 0.2400 है0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण हेतु) अर्थात **कुल 3.7750 हे0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत –जाखाल– द्वारा दिनांक...23/04/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम –जाखाल–––– के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव

(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत जाखाल, ह0.. 21/6/19, दि0. ह0/– ग्राम प्रधान, वि0ख0–जखोली, रूद्रप्रयाग)

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

दिनांक ..23/06/16..को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....जाखाल..........

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	रणजीत सिंह बत्वाल	रणजीत सिंह
	कार्तिक सिंह	अंशी देवी
	अंशी देवी W/o गोपाल सिंह	अंशी देवी
	शुभम सिंह बत्वाल	Shubham [illegible]
	रोशन सिंह बत्वाल	Roshan singh
	चैपडी देवी W/o काशीराम	
	आशा देवी W/o महिपाल सिंह	चैपडी देवी
	गुमान सिंह	गुमान सिंह
	श्री बचन सिंह S/o मोलू सिंह	
		बचन सिंह
	पवन सिंह S/o प्रताप सिंह	पवन सिंह पवन सिंह
	श्याम सिंह S/o [illegible] सिंह	श्याम सिंह
	[illegible] सिंह S/o बचन सिंह	[illegible] सिंह
	उमा देवी स्वर्गीय उम्मेद सिंह	उमा
	कार्तिक सिंह	[illegible]
	[illegible] सिंह	
	भगत सिंह S/o उदे सिंह	भगत सिंह

संलग्न है।

प्रधान ग्राम पंचायत जाखाल
ह0 [illegible]
ग्राम प्रधान
वि0ख0–जखोली, रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभि0 [illegible]
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– जखोली जनपद रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली ।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0) (3.3775 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.1575 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि एवं 0.2400 हे0 आरक्षित भूमि मलवा निस्तारण हेतु) अर्थात **कुल 3.7750 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील जखोली)** की दिनांक 25/07/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री [illegible], उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] उपजिलाधिकारी [signature]——————अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी——[signature]——सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी–[signature]–सदस्य/सचिव
4– श्री Murli Lal ——बी0डी0सी0 क्षेत्र —TUNETA————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)** परियोजना हेतु **3.7750 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)** परियोजना के निर्माण हेतु **3.7750 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग।

(मुरली लाल)
सदस्य क्षेत्र पंचायत तुनेटा
वि0ख0-जखोली (रूद्रप्रयाग)

समाज कल्याण अधिकारी
खण्ड जखोली

P/C attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

रिक्त पड़े स्थान पर उचित वृक्षारोपण योजना का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु वॉछित धनराशि वन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0	प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग

P/S attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

रसौई गैस/कैरोसिन का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों को रसोई गैस/कैरोसिन की आपूर्ति की जायेगी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

P/C attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर0सी0सी0 पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन / सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

p/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

संलग्नक (7)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के नव निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

p/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचायें जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/रख-रखाव के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा वन्य जीव/स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नही पहुँचाया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता।
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाड़ी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

मक डिस्पोजल प्लानिंग

A	Material recived from hill side cutting (1/2 x 8075 x 5.95 x 3.5) =	84080.94	cum
B	Material received from hill side cutting including 40% of swell factor	33632.38	cum
C	Material Disposal by Cartage	**117713.32**	**Cum**
	Material Re-used in the project after 40% swell factor		
1	R.R. Stone Masonary laid in 1:6	3000.00	cum
2	R.R. Stone Masonary laid dry	6500.00	cum
3	Hand packed Stone filling	2000.00	cum
4	Construction of Wire crate	6000.00	cum
5	Construction of Parapet	2000.00	cum
6	Granular sub base /base/surface	9000.00	cum
7	Construction of Scupper	5000.00	cum
8	Construction of Road side Drain	1000.00	cum
9	Super elevation & Patri filling	5000.00	cum
10	Concrete work	2500.00	cum
11	**Total**	**42000.00**	**cum**

Summary of Dabries Disposal

Sr. No.	Total Dabries	Material disposal by Cartage	Reused material for road construction	Total disposal in Dumping Zone
1	117713.32 Cum	75713.32 Cum	42000.00 Cum	75713.32 Cum

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

p/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0खं0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

Detail of Muck Disposal Sites

S. No.	Location of Dumping Yard)	Owner of Land	Area (in hectares)	Height of Dumping Zone (m)	Capacity of Dumping yard in cum	longitude /latitude
1	Km 1 (45 x 20)	Reserve Forest	0.0900	6.00	5400.00 Cum	78°57'30.036" E 30°21'24.142" N
2	Km 2 (50 x 30)	Naap Land	0.1500	6.15	9225.00 Cum	78°57'24.785" E 30°21'06.793" N
3	Km 3 (30 x 25).	Reserve Forest	0.0750	6.50	4875.00 Cum	78°57'16.571" E 30°21'15.016" N
4	Km 4 (50 x 30)	Naap Land	0.1500	8.00	12000.00 Cum	78°57'04.988" E 30°21'10.594" N
5	Km 5 (50 x 30)	Naap Land	0.1500	8.00	12000.00 Cum	78°56'27.980" E 30°21'08.888" N
6	Km 6 (50 x 30)	Naap Land	0.1500	6.00	9000.00 Cum	78°55'52.569" E 30°21'22.408" N
7	Km 7 (50 x 30)	Naap Land	0.1500	6.00	9000.00 Cum	78°55'35.987" E 30°21'24.922" N
8	Km 8 (30 x 25)	Reserve Forest	0.0750	7.00	5250.00 Cum	78°55'37.564" E 30°21'2.903" N
9	Km 9 (50 x 30)	Naap Land	0.1500	6.00	9000.00 Cum	78°55'32.405" E 30°20'53.430" N
	Total		1.1400		75750.00 Cum	

Junior Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Assistant Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

Executive Engineer
Prov. Div. PWD
Rudraprayag

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

P/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

103

सत्तानक 23 सर्त्त संख्या 23

परियोजना का नाम : जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

P/c Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण में पड़ने वाले आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

p/c attested

सहायक अभियन्ता।
प्रा0ख0 लो0नि0वि
रूद्रप्रयाग

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सुमाड़ी विरांणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.775 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सुमाड़ी–विरांणगांव–जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.775 है0 हस्तान्तरित भूमि के एवज में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7.550 है0 लौंगा क0सं0–19 आरक्षित वन भूमि भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उक्त भूमि पर किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

P/C attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत सुमाड़ी–विरांणगांव–जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.775 है0 हस्तान्तरित भूमि के एवज में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 7.550 है0 लौंगा क0सं0–19 आरक्षित वन भूमि भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। उक्त भूमि पर किसी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

Divisional Forest Officer
Rudraprayag Forest Division
Rudraprayag

p/c attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग